

HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर मारपीट करने व गंभीर चोट पहुंचाने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास व र5,500 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।"



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना चिकासी में पंजीकृत मु0अ0सं0-875/2014 धारा–308,325,323,336,341,504 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में **मा0 न्यायालय जिला/सत्र न्यायाधीश** जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त **हरी सिंह पुत्र मुरलीधर लोधी** निवासी ग्राम बिलगॉव डाडा, थाना चिकासी जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए **03 वर्ष के कारावास व ₹5,500 के अर्थदंड** से दण्डित किया गया।



अभियोजक-डीजीसी श्री राजेश कुमार शुक्ला



विवेचक-उ0नि0 रामाश्रय यादव



पैरोकार- थाना चिकासी का0 विजय